राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ
विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900
ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः www.rajasthan.nalsa.gov.in

क्रमांकः एफ–9( )/रालसा/स्टोर/2025–26/10241 दिनांकः 15.09.2025

कोटेशन के लिए अनुरोध–6/2025–26

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के Logo को आधुनिक, आकर्षक व एनिमेटेड ऑडियो–विडियो के रूप में तैयार किए जाने, Logo के विभिन्न प्रतीकों की व्याख्या करने तथा विभिन्न वेबसाईट, मोबाईल ऐप, ई–पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इत्यादि पर प्रचार–प्रसार व उपयोग किये जाने के लिए Digital Logo तैयार किया जाना है। इस हेतु बाजार में स्थित संबंधित/अधिकृत फर्म/ऐजेन्सी इत्यादि से Digital Logo तैयार करवाये जाने हेतु "कोटेशन के लिए अनुरोध" आमंत्रित किया जाना है, जो निम्नानुसार हैः–

Sr.No.	Perticulars	Details	Estimated Amount INR
1.	Cost of production for the main animation video film	**Content Writing:** (Script & Visualization) **Editing & Post Production Charges:** Motion Graphics & Character Animation, Visual Effects artist, Video Editor, Music compositor and sound effects artist Voice over artist, Creative Director & Supervisor. Total Duration= 60 sec (+-10 sec)	**90,000/-**

उक्त कोटेशन दिनांक 18.09.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक स्वीकार की जावेंगी, इसके पश्चात् प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय तक प्राप्त कोटेशन उसी तिथि को दोपहर 03:00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय चैम्बर में विभागीय उपापन समिति एवं उपस्थित कोटेशनदाताओं के समक्ष खोली जावेंगी।

कोटेशन की शर्तेः–

01. कोटेशनदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी कोटेशन भेजते समय इनका पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
02. कोटेशन बंद लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।
03. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के अलावा अन्य कोई भी शर्तें स्वीकार नही होंगी।
04. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को बिना कारण बताये कोटेशन किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार होगा।
05. कोटेशन की दरें शब्दों एवं अंकों, दोनों में बिना कांट–छांट स्पष्ट रूप में अंकित होनी चाहिए। शब्दो एवं अंको में राशि में अंतर होने पर शब्दों में अंकित राशि सही मानी जावेगी।
06. कोटेशन में प्रेषित दरों के अलावा अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स/जीएसटी देय हो तो कोटेशन में अलग से अंकित करें
07. Digital Logo बनाने के पश्चात् संबंधित Parent file भी Digital Logo के साथ उपलब्ध करवानी होगी।
08. Digital Logo अंतिम रूप से बनाने के पश्चात् यदि इसमें कोई परिवर्तन/संशोधन करवाया जाता है तो 3 माह तक बिना किसी व्यय के परिवर्तन/संशोधन करना होगा।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ

विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

दूरभाषः 0141-2227481 फैक्सः 2227602 टोल फ्री हेल्पलाईनः 15100/9928900900

ई–मेलः rslsajp@gmail.com, rj-slsa@nic.in वेबसाईटः www.rajasthan.nalsa.gov.in

09. Digital Logo का फोर्मेट सभी Device operating System (Windows, Mac, Linux, Android, iOS, etc.) में Compatible होना चाहिए।
10. डिजिटल लोगो उच्च क्वालिटी एवं Specification के अनुसार ही होनी चाहिए।
11. उक्त Digital Logo तैयार कर व Approve करवाये जाने के पश्चात् कार्य संतोजषजनक होने पर ही भुगतान किया जायेगा।
12. कोटेशन के साथ अधिकृत व्यवसायी का प्रमाण–पत्र/जी.एस.टी पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. आयकर व जी.एस.टी. यदि लागू होगा तो नियमानुसार बिल में से कटौती की जावेगी।
14. फर्म को उक्त कार्य (सारणी में अंकित) निर्देशानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा सदन, विधिक सेवा मार्ग, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर में कार्यादेश जारी होने के 3 कार्य दिवस में करना होगा।
15. किसी भी प्रकार के नुकसान के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर जिम्मेदार नहीं होगा।
16. उक्त शर्तों के अतिरिक्त RTPP नियम 2013 की शर्तें भी लागू होगी।

निदेशक
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।

क्रमांकः एफ–9( )/रालसा/स्टोर/2024–25/10242-45 दिनांकः 15.09.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
2. प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा, विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. फर्म मैसर्स ....
4. संबंधित पत्रावली।

उप सचिव–प्रथम
(स्टोर प्रभारी)
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर।